



भा कृ अ प
ICAR

फोन नं. 011.25843935.36 25843985
PHONES: 011.25843935.36 25843985
फैक्स: 011-25841472
FAX: 011.25841472
EMAIL: ipmnet@bol.net.in

राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र

NATIONAL CENTRE FOR INTEGRATED PEST MANAGEMENT

लाल बहादुर शास्त्री भवन, विंग एल-1 एण्ड एम-1 ब्लॉक - एफ, नई दिल्ली - 110012

Lal Bahadur Shastri Bhawan, Wing L-1 & M-1 Block-F, New Delhi - 110 012

संख्या : NISPM Bt-Cotton /6/एन सी आई पी एम भंडार/

दिनांक 01/07/2009

विषय Development of reporting system pest monitoring in Bt Cotton(e- pest surveillance) की आपूर्ति हेतु मुहरबंद टैंडर/कॉटेशन आमंत्रित की जाती है।

महोदय,

नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भंडार सामग्री की आपूर्ति हेतु मुहरबंद कॉटेशन आमंत्रित की जाती है। Technical bid and priced bid अलग अलग डाले । Technical Bid and price Bid अलग.अलग न डालने पर कोटेशन Cance कर दी जाएगी ।

कॉटेशन इस कार्यालय में दिनांक 21.07.2009 को 14:30 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। दिनांक 21.07.2009 को 14:30 के बाद पहुंची कॉटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। Rs.5000/- ई.एम.डी. राशि /टैंडर/कॉटेशन के साथ ही जमा करें । सफल कॉटेशन कर्ता को कुल सपलाई आर्डर की 10 % धरोहर राशि (Security Money) निदेशक राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र नई दिल्ली 110012 (DIRECTOR NCIPM,PUSA NEW DELHI) के नाम जमा करवानी होगी ।

टैंडर/ कॉटेशन डालने वाली फर्म द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी चाहिए :-

- टैंडर/कॉटेशन की दरें कार्यालय द्वारा उन्हें स्वीकार करने से 45 दिनों तक मान्य रहेगी।
- दर्शाई गई दरों में आपूर्तिकर्ता के गोदाम से दिल्ली/नई दिल्ली पार्सल/रेलवे स्टेशन पर जाने का माल भाड़ा आदि अथवा अन्य खर्च जैसे पैकिंग, माल भेजने का डाक खर्च आदि भी शामिल होंगे इसके लिए दर्शाई गई दरों के अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।
- यदि दर्शाई गई दरों के अतिरिक्त कोई टैक्स ड्यूटी अथवा अन्य प्रभार लगाया जाना है तो राशि प्रभार/टैक्स का प्रतिशत भाग/ड्यूटी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कृपया यह नोट कर लें कि यह संस्थान शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान/प्रयोगशाला आदि की भांति घोषणा पत्र के द्वारा बिक्री कर में रियायत पाने का हकदार है।
- यदि किसी मामले में अनुसूची में दर्शाई गई कोई भी वस्तु दर अनुबन्ध अथवा डी जी एस एण्ड डी आदि के अंतर्गत आती है तो दर अनुबंध एवं दिनांक का उल्लेख करें। दर अनुबंध की प्रति संलग्न करना पर्याप्त होगा।
- जब तक अलग से निर्दिष्ट न किया जाए केवल देशी वस्तुओं की दरें ही दर्शाई जाए। जहां देशी सामग्री उपलब्ध न हो विदेशी वस्तुओं की दरें दर्शाई जा सकती हैं परन्तु उनका भुगतान भी भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा।

- कृपया टैंडर/कॉटेशन में यह भी इंगित करें कि क्या सामान की आपूर्ति उपलब्ध स्टॉक से की जानी है अथवा उसका आयात कर/अन्यत्र कहीं से प्राप्त करके की जानी है यदि ऐसा है तो साथ ही यह भी उल्लेख करें कि आपूर्ति आदेश मिलने के उपरान्त कितने समय में सामान की आपूर्ति की जाएगी।
- अनुसूची में वर्णित सामग्री की आपूर्ति जारी किए गए खरीद आदेश के अनुसार की जानी है।
- सामान की आपूर्ति, सड़क मार्ग अथवा रेल द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से किए जाने पर होने वाले खर्च की सारी जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की ही होगी।
- टैंडर/कॉटेशन में सभी प्रकार का विवरण यथापूर्ति की निम्नतम इकाई विनिर्देश दर टैक्स की वास्तविक अथवा अनुपातिक दर ड्युटी भेजने का तरीका आदि होना चाहिए यदि उपकरण को स्थापित करने का कार्य आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाना है तो इसके सम्बन्ध में यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया जाना है तो उसका उल्लेख करें। भारी मात्रा में आपूर्ति का आदेश मिलने पर यदि कोई छूट संभव हो तो टैंडर/कॉटेशन में भी उसका उल्लेख करें।
- उपकरणों के मामले में निश्चित रूप से एक वर्ष का वारंटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- सामग्री का संतोषजनक आपूर्ति तथा पूर्व— प्राप्ती बिल की रसीद 3 प्रतियों में प्राप्त होने पर भुगतान इलाहाबाद बैंक ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली पर देय डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा किया जाएगा। किसी भी अन्य तरीके से भुगतान की अपेक्षा रखने वाली कॉटेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- निदेशक राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र नई दिल्ली (DIRECTOR NCIPM,PUSA NEW DELHI) को बिना कारण बताए सामग्री या टैंडर/कॉटेशन अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार है।
- टैंडर/कॉटेशन में एक बार दिए गए रेट ही माने जाएंगे दोबारा इनमें कोई संशोधन नहीं होगा। रेट के संदर्भ में कोई भी पूछताछ करने वाली फर्म के कॉटेशन /टैंडर को मान्य नहीं ठहराया जाएगा।
- कॉटेशन की स्वीकृति/अस्वीकृति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- सभी विवाद नई दिल्ली न्यायलय में ही निपटाए जाएंगे।
- **EMD** राशि की वापसी हेतु कॉटेशन /टैंडर के साथ ही पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न करें।
- अधिक जानकारी के लिए केन्द्र की वेबसाइट <http://www.ncipm.org.in> देखें।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SOFTWARE DEVELOPMENT

The firm must submit two bids technical as well as financial.

The firm must be an Indian firm registered in Delhi/NCR.

The firm must have adequate experience in development and implementation of offline & online websolutions using Microsoft .NET and SQL server technologies.

The firm must have experience of working in Government / Undertaking and allied departments.

The firm must have a good support system for any help required.

The firm should provide client List (at least 10 clients) at the time of submitting quotation.

The firm must be in a position to provide support for at least one year after development and implementation.

The must have adequate technical man power (at least 25).

The software must be supplied in final stages within 15 days from the date of supply order.

The source code an any 3rd party components / free tools used must be handed over to NCIPM at the end of the implementation of the programme. It would be the property of NCIPM.

प्रभारी अधिकारी

